

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,
डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 12 जुलाई, 2022

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव।
3. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार।
4. अध्यक्ष, आईबीबीआई।
5. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण।
6. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।
7. सचिव, सीसीआई
8. सचिव, एनएफआरए
9. सचिव, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
10. सचिव, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई), सदर स्ट्रीट, कोलकाता
11. सचिव, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्य के 08 (आठ) पद और तकनीकी सदस्य के 11 (ग्यारह) पदों को भरने के संबंध में- ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्यों के 08 (आठ) और तकनीकी सदस्यों के 11(ग्यारह) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन (<https://apptrbmembermca.gov.in> पोर्टल पर उपलब्ध) आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या अनंतिम हैं और ये बिना किसी पूर्व सूचना के घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं।

2. चयनित उम्मीदवारों से पहले से गठित एनसीएलटी खंडपीठों या भविष्य में देश के विभिन्न भागों में चरणबद्ध तरीके से गठित किए जाने वाले खंडपीठों में कार्य करना अपेक्षित है और वे इस नियुक्ति में रिक्ति/कार्य की अनिवार्यता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरण के लिए दायी होंगे।

3. **न्यायिक सदस्य की अहताएं:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(2) के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा, जब तक कि वह:-

- (क) उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रहा हो, या
- (ख) कम से कम पांच वर्षों के लिए जिला न्यायधीश हो या रहा हो, या
- (ग) कम से कम दस वर्षों के लिए किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।

स्पष्टीकरण: खंड (ग) के प्रयोजनार्थ, उस अवधि की गणना करते समय, जिसके दौरान एक व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा है, मैं ऐसी कोई अवधि जिसके दौरान उस व्यक्ति द्वारा किसी न्यायिक कार्यालय में या किसी अधिकरण के किसी सदस्य के कार्यालय में कोई पद धारण करने या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने की अवधि भी शमिल की जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति के अधिवक्ता बनने के पश्चात् विशेष ज्ञान अर्जित करना अपेक्षित होगा।

तकनीकी सदस्य की अहताएँ: कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(3) के उपबंधों के अनुसार, एक व्यक्ति न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह -

- (क) कम से कम 15 वर्षों के लिए भारतीय कारपोरेट विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो और भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव के पद पर कार्य किया हो; या
- (ख) कम से कम 15 वर्षों के लिए चार्टर्ड लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ग) कम से कम 15 वर्षों के लिए लागत लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (घ) कम से कम 15 वर्षों के लिए कंपनी सचिव के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ङ) एक सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिसके पास विशेष ज्ञान हो और औद्योगिक वित, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्गठन, निवेश, लेखांकन में कम से कम 15 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव रहा हो; या
- (च) वह व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी हो या रहा हो।

4. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 50 (पचास) वर्ष की आय [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413(2)] पूरी न कर ली हो।

5. **नियुक्ति के निबंधन:** सदस्य 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-15 और इसके अतिरिक्त यथास्वीकृत भते सहित वेतन प्राप्त करेंगे। कार्यरत या सेवानिवृत् (सरकारी अधिकारी या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी, किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य या उच्च न्यायालय का कोई न्यायधीश) आवेदकों, जो उच्चतर वेतनमान, जिसमें भारत सरकार का अपेक्ष वेतनमान भी शामिल है में कार्यरत हैं या थे, के लिए वेतन संरक्षण उपलब्ध है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (सभापति और अन्य सदस्यों के वेतन और भते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2015 द्वारा वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का नियंत्रण किया जाएगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इन नियमों की प्रति उपलब्ध है। चयनित व्यक्ति, यदि पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो वह, ऐसे कार्यालय में कार्य करते हुए एक वर्ष की अवधि तक अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो में अपना दावा रख सकता है।

6. अधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद, यदि कोई सदस्य किसी संगठन/पद में अन्य असाइनमेंट के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके आवेदन पर एनसीएलटी के सदस्य के रूप में दो साल की सेवा पूरी करने के बाद ही उस असाइनमेंट को अग्रेषित करने पर विचार किया जाएगा।

7. प्रत्येक सदस्य द्वारा उनके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में पदधारण किया जाएगा, परंतु वह अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का भी पात्र होगा। यद्यपि इस नियुक्ति की अवधि पैसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अध्यधीन है।

8. चयनित सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।


9. न्यायालय/सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अन्य संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख से 10 दिनों के भीतर उचित माध्यम द्वारा अग्रेषित किए जाएं। अग्रेषण प्राधिकारी को यह भी प्रमाणित (ऑनलाइन आवेदन के अनुलग्नक में दिए गए प्ररूप में) करना होगा कि आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों को रिकार्ड से सत्यापित किया गया है और इन्हें सही पाया गया है और अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार के अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाहियां न तो लंबित हैं और न ही अपेक्षित हैं एवं पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर किसी प्रकार की छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है। अग्रेषण प्राधिकारी को आवेदक का पिछले पांच वर्षों का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर भी संलग्न करने होंगे।

10. इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 15.07.2022 को पूर्वाहन 10:00 बजे से <https://apptrbmembermca.gov.in> पोर्टल देखने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत अनुदेश पोर्टल ('ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश' शीर्षक के तहत) पर उपलब्ध है। सभी अपेक्षित व अनिवार्य दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन फाइल करते समय अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 12.08.2022 को 05:30 अपराह्न है।

11. ऑनलाइन पोर्टल में विधिवत रूप और उचित माध्यम द्वारा (अनुलग्नक में वर्तमान नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र सहित), जहां भी लागू हो, अंतिम रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के उपरांत 23 अगस्त, 2022 तक श्री रियाजुल हक, अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 526, ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को प्राप्त हो जाना चाहिए।

12. नियुक्ति की प्रक्रिया, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय में फाइल डब्ल्यूपी(सी)180/2022 या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में इसी तरह की अन्य याचिका के परिणाम/आदेशों के अधीन है।

13. इस विज्ञापन को संबोधित संगठनों एवं उनके अधीन कार्यालयों द्वारा व्यापक रूप से प्रकाशित किया जा सकता है, ताकि आवेदनों की शीघ्र और इष्टतम संख्या को सुगम बनाया जा सके।

भवदीय,

(अमर सिंह मीणा)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव, प्रशा.॥ अनुभाग, एमसीए को आईसीएलएस अधिकारियों में परिचालित करने के लिए।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमसीए को पोर्टल पर रिक्त परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध सहित
3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को डीओपीटी वेबसाइट पर रिक्त परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
4. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्त परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला प्रमाणपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि द्वारा दिए गए विवरण सही हैं और वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

- (i) श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनामत्क मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- (iii) उनकी सीआर/एपीएआर डोजियर मूल रूप में संलग्न है। पिछले पांच वर्षों के एसीआर/एपीएआर की प्रतियां, अवर सचिव, भारत सरकार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित, संलग्न की गई हैं।
- (iv) “पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।”
- (v) पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर लगाए गए बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न की गई है।

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

दूरभाष संख्या

कार्यालय मुहर

स्थानः

तारीखः

संलग्नकों की सूचीः

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(जो लागू न हो उसे काट दें